



## गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

( भवन अनुभाग )

पत्रांक १००  
सेवा मे.

सेक्टर-१८

दिनांक: ११ - ६ - १३

श्री वैष्णवी / देवता : श्री कृष्ण अवतार इन्हीं दोनों देवताओं की पूजा आदि  
इकठ्ठे एवं पूजनीय तौर पर की जाती है।

आपके पत्र दिनांक..... मानविक सं० 1690/13..... के संदर्भ में आपके प्रस्तावित अनुमति दिया जाएगा।  
 यद्यन निर्णय को घोषित करती है। अनुमति दियन की जाती है। स्वीकृत मानविक संलग्न है।

- यह मानवित्र अनुमति दिनांक से कोवाल 5 वर्ष तक है।
  - मानवित्र की इस स्वीकृति से किसी भी सांसाक्षीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वतंत्र एवं स्थानिक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
  - जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, वहन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विशेषत प्रयोग उद्घाटन नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
  - उद्घाटन नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यव संग्राम जायेगा तो दिना किसी आपत्ति के देय होगा।
  - जो कोई भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगी वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
  - स्वीकृत मानवित्र का एक सेट निर्माण ब्लॉक पर ही रखना होगा ताकि भीके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
  - आप वहन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
  - निर्माण की अपवित्रि में यदि स्वीकृत मानवित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
  - पर्यावरण की दृष्टि से उद्घाटन राज्य वन नीति अधिनियम के उन्नतर्गत करने से कम प्रदूषित लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत पित्र इसके साथ संलग्न है। वहन तमाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न स्वयं में कार्य पूरा होने के प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आड़ा व प्रबाल लिए वहन को प्रयोग में न लायें।
  - प्राधिकरण से अप्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वहन को अप्यासित (आकूपाई) करें। इसमें किसी भी जरूर का अल्पव्यवहार उद्घाटन नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
  - दरवाजा व विद्युकियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोग्रेस) न हो।
  - विजी की लाइन से 5 कुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
  - सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण समझी (बिल्डिंग मैटरियल) न रखी जायेगी तथा यन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
  - यह मानवित्र उद्घाटन नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कल्पीतान) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मात्र होगी।
  - सड़क पर अव्यावैकलन में कोई देव अथवा स्टेन नहीं बनायी जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
  - सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/ शर्तों का पालन करना होगा।
  - पश्चात द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 29-5/3 का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

四

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर